

छत्तीसगढ़ शासन,
जल संसाधन विभाग,
मंत्रालय,
महानदी भवन, अटल नगर
जिला-रायपुर (छ.ग.)

क्र...../एफ-7-29/31/एस-2/2017,

अटल नगर, दिनांक /03/2019

प्रति,


मुख्य अभियंता,
हसदेव गंगा कछार,
जल संसाधन विभाग,
अंबिकापुर (छ.ग.)

विषय :- सरगुजा जिले के श्याम घुनघुट्टा मध्यम परियोजना के दांयी एवं बांयी तट नहर का लाईनिंग एवं रिमाडलिंग कार्य की प्रशासकीय स्वीकृति।

संदर्भ :- मुख्य अभियंता, हसदेव गंगा कछार, अंबिकापुर का पत्र क्र.-3547/कार्य/2018, अंबिकापुर, दि. 06.08.2018.

राज्य शासन एतद् द्वारा सरगुजा जिले के श्याम घुनघुट्टा मध्यम परियोजना के दांयी एवं बांयी तट नहर का लाईनिंग एवं रिमाडलिंग कार्य हेतु राशि रु. 2381.54 लाख (रूपये तेईस करोड़ इक्यासी लाख चौवन हजार) मात्र की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करता है।

2. योजना में प्रस्तावित कार्य के पश्चात् 1997 हेक्टेयर कमी की पूर्ति सहित 5400 हेक्टेयर खरीफ एवं 1800 हेक्टेयर रबी, कुल 7200 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा प्रदान की जा सकेगी।
3. कार्य विभाग नियमावली की कंडिका 2.006 के नीचे दिये गये नोट 3(बी) एवं 3(सी) के अनुसार योजना की तकनीकी स्वीकृति दी जाकर एवं अन्य अभीष्ट औपचारिकताओं को पूर्ण करने के पश्चात् निर्माण कार्य प्रारंभ किया जावे तथा कार्य पूर्ण होने के उपरांत योजना का पूर्णता प्रमाण-पत्र शासन को दिया जावे।
4. छत्तीसगढ़ वित्तीय संहिता भाग-एक के नियम-10 के अनुसार मुख्य अभियंता का यह दायित्व है कि वे कार्य पर नियंत्रण रखें तथा उनके कार्यालय तथा अधीनस्थ आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा प्रशासकीय वित्तीय नियमों का पालन हो।
5. योजना पर व्यय बजट शीर्ष मांग संख्या-41, लेखाशीर्ष-4701-मध्यम सिंचाई परियोजना (अनुसूचित जनजाति उपयोजना), (24)-श्याम घुनघुट्टा परियोजना, {800}-अन्य व्यय, 3366-मध्यम परियोजनाओं का निर्माण कार्य, #97 निर्माण कार्य, 003 बांध एवं नहर के अंतर्गत विकलनीय होगा।
6. वित्त विभाग द्वारा उनके जावक क्र. 1869/ब-2/सी.एन.-31-02207, दिनांक 07.03.2019 द्वारा सहमति प्रदान की गई है।
7. योजना का कार्य स्वीकृत राशि एवं निर्धारित समयावधि के अंतर्गत ही पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करें।
8. निर्माण कार्य की लागत में मितव्ययता को सुनिश्चित किया जावे।
9. संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालन अभियंता निर्माण कार्य की उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करें।



छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
रबी/-
(याकुब खेस्स)
संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
जल संसाधन विभाग

...2

पृ.क्र. 1248 / एफ-7-29 / 31 / एस-2 / 2017,

अटल नगर, दिनांक 08/03/2019

प्रतिलिपि:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
2. निज सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी (निवास), छत्तीसगढ़ शासन, रायपुर।
3. विशेष सहायक, माननीय मंत्री जी, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर।
4. अपर मुख्य सचिव (वित्त), छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
5. सचिव, जल संसाधन विभाग छत्तीसगढ़ शासन, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, रायपुर
6. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
7. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), जीरो पाइन्ट, बलौदाबाजार रोड, रायपुर।
8. कलेक्टर, जिला-सरगुजा (छ.ग.)।
9. संचालक जनसंपर्क संचालनालय, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, रायपुर
10. प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर।
11. उप संचालक, मंत्रालय प्रेस प्रकोष्ठ कक्ष क्र.-एम 4-22 अटल नगर, रायपुर
12. अधीक्षण अभियंता, एम.आई.एस.यूनिट स्टेट डाटा सेंटर, प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग परिसर, रायपुर (छ.ग.)।
13. अधीक्षण अभियंता, श्याम बरनई परियोजना मंडल, अंबिकापुर।
14. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग क्र.-1 अंबिकापुर, जिला-सरगुजा।
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
15. आदेश फोल्डर।

संयुक्त सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

जल संसाधन विभाग
7/3/19